स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 302, दिनांक 30–11–2020

जनपद रायबरेली से रू0 25,000/– के पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी मोहम्मद साहिद उर्फ बबलू को एसटीएफ उ0प्र0 ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 29.11.2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद रायबरेली से रू0 25,000/– के पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी मोहम्मद साहिद उर्फ बबलू को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

मोहम्मद साहिद उर्फ बबलू पुत्र इसीमदार निवासी ग्राम रानीपुर रजमो, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगीः

1–एक अदद देशी तमंचा नाजायज 12 बोर
2–06 अदद जिंदा कारतूस नाजायज 12 बोर
3–01 अदद आधार कार्ड
4–01 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स
5–रू0 900/– नकद
6–01 अदद मोबाइल फोंन

गिरफ्तारी का स्थान/समय

जनपद रायबरेली के थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अयोध्यापुरी क्रासिंग, नयापुरवा दिनांक 29.11.2020 समय 21.09 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत कुछ दिनों से कुख्यात फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर चोरी, लूट, अपहरण, हत्या करने व भयादोहन आदि अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह सिसौदिया प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 द्वारा विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

जिसके अनुपालन में पुलिस उपाधीक्षक श्री धर्मेश कुमार शाही के निर्देशन में एस0टी0एफ0 मुख्यालय की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। उक्त के क्रम में निरीक्षक श्री अरूण कुमार सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री सत्येन्द्र विक्रम सिंह, मु0आ0 अनिल सिंह चन्देंल, मु0आ0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह, मु0आ0 बृजेश कुमार सिंह, मु0आ0 नीरज पाण्डेय, मु0आ0 प्रदीप कुमार सिंह व कान्स0 गौरव सिंह की एक टीम जनपद रायबरेली में अभिसूचना संकलन हेतु मौजूद थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त मोहम्मद साहिद उर्फ बबलू अयोध्यापुरी में रेलवे क्रासिंग के किनारे खड़ा अपने किसी साथी के आने का इंतजार कर रहा है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। इस सूचना पर तत्काल जनपद रायबरेली में मौजूद एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर अभियुक्त

मोहम्मद साहिद उर्फ बबलू को उपरोक्त स्थान से आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया गया कि वह ग्राम रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर जनपद रायबरेली का रहने वाला है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.03.2009 को रायबरेली में मै अपने साथियो के साथ ट्रक से बैल लादकर जा रहा था रोके जाने पर हम लोगो ने पुलिस की सरकारी मोटरसाइकिल व अम्बेसडर कार को कुचलते हुए भाग गये थे जिसमें मु.अ.सं. 623/2009 धारा 307/279/427/420 भादंवि. व 07 क्रिमिनल का0 एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम वर्ष 2009 में मेरे विरूद्ध थाना कोतवाली नगर, जनपद रायबरेली में पंजीकृत हुआ था, जिसमें मेरे सभी साथी पकड़े गये थे तथा मैं फरार चल रहा हूँ, मुझे जानकारी है कि रायबरेली पुलिस द्वारा मेरे ऊपर इनाम घोषित कराया गया है। पुलिस से बचने तथा पुलिस के भय से मैं छिपकर अलग अलग स्थान पर रह रहा था। अभियुक्त मोहम्मद साहिद उर्फ बबलू द्वारा यह भी बताया कि फरार होने के बाद उसने अपने नाम बदल कर फर्जी आई0डी0 तैयार करवायी। जिसके आधार पर उसने वहां काम धन्धा शुरू किया। वह एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक नही रहता था।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त इलियास को थाना कोंतवाली नगर जनपद रायबरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 665/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दाखिल कराया गया है, जिसमें अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।